न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/204

1. सत्यनारायण आयु 58 वर्ष आत्मज श्री मांगीलाल जी जाति लोधा निवासी ग्राम अलकोदिया तहसील एवं जिला बून्दी ।
2. जवाहरी लाल आयु 55 वर्ष पुत्र श्री मांगीलाल जी जाति लोधा निवासी ग्राम अलकोदिया तहसील एवं जिला बून्दी ।
3. गोपाली बाई आयु 50 वर्ष विधवा श्री हेमराज लोधा निवासी अलकोदिया ।
4. निरजा उर्फ काली आयु 28 वर्ष पुत्री हेमराज लोधा निवासी अलकोदिया ।
5. भूली बाई आयु 22 वर्ष पुत्री हेमराज लोधा निवासी अलकोदिया ।
6. नेना उर्फ मीना आयु 19 वर्ष पुत्री हेमराज जाति लोधा निवासी अलकोदिया ।
7. धनराज आयु 30 साल
8. रेखराज आयु 27 साल
9. किशन गोपाल आयु 24 वर्ष पिसरान श्री जवाहरी लाल जाति लोधा निवासी अलकोदिया तहसील एवं जिला बून्दी ।

बनाम

1. कस्तूर चन्द आयु 70 वर्ष पुत्र श्री मांगीलाल जी लोधा निवासी अलकोदिया ।
2. रूपराम आयु 36 साल
3. गोविन्दा आयु 34 साल पिसरान श्री कस्तूर चन्द लोधा निवासी अलकोदिया
4. श्रीमती कान्ही बाई विधवा श्री मांगीलाल जाति लोधा निवासी अलकोदिया ।
5. सुगना आयु 45 वर्ष पुत्री श्री मांगीलाल जाति लोधा निवासी अलकोदिया ।
6. मंजू आयु 35 वर्ष पुत्री मांगीलाल जी लोधा निवासी अलकोदिया ।
7. श्रीमती करमा विधवा धनपाल लोधा निवासी जरखोदा ।
8. पवन आयु 12 वर्ष पुत्र श्री धनपाल जरिये स्वाभाविक संरक्षक माता श्रीमती करमा विधवा धनपाल लोधा निवासी जरखोदा तहसील जिला बून्दी ।
9. राजस्थान राजय जरिये श्रीमान् तहसीलदार तहसील जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :— 1. श्री रमेश जैन, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रामदत्त शर्मा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।
3. श्री रामकैलाश नागर, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 4 से 6 की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 11.12.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.2019 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण रेस्पोडेन्ट क्रम 01 से 3 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53, 88 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम अलकोदिया तहसील एवं जिला बून्दी में कुल 03 किता की रकबा 70 बीघा 16 बिस्वा भूमि स्थित है । वर्तमान जमाबन्दी खतौनी संख्या 23 की भूमि खसरा नम्बर 183 रकबा 27 बीघा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 301 रकबा 17 बीघा 05 बिस्वा कुल 44 बीघा 08 बिस्वा भूमि वाके ग्रमा अलकोदिया में स्थित है जिसमें कस्तूरचन्द, सत्यनारायण, जवाहरीलाल, धनपाल पिसरान मांगी लाल का संयुक्त हिस्सा 17/40 अंकित हो रहा है जिसके अनुसार वादी कस्तूरचन्द का अकेले का उक्त भूमि में हिस्सा 17/40 में 1/4 बनता है । इसी प्रकार उक्त भूमि में वादीगण का संयुक्त हिस्सा 3/20 अंकित है । प्रतिवादी क्रम 6, 7 का उक्त भूमि में 51/160 हिस्सा अंकित है । इसी प्रकार खतौनी संख्या 66 में 02 किता की 26 बीघा 08 बिस्वा भूमि स्थित है जिसमें वादी कस्तूरचन्द का हिस्सा 3/20 अंकित हो रहा है तथा वादीगण क्रम 2 व 3 का 3/20 हिस्सा अंकित हो रहा है । प्रतिवादी क्रम 6 व 7 का हिस्सा 3/10 अंकित है । वादग्रस्त आराजी का पक्षकारान के मध्य विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वे वादग्रस्त आराजी का विधिवत विभाजन करवाएं एवं अपने हिस्से में प्राप्त भूमि को पृथक अपने खाते में दर्ज करवाकर पृथक लगान कायम करवाएं ।

3. अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात का पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में अंकित हिस्से अनुसार विभाजन किया जावे तथा वादी को विभाजन में प्राप्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड में पृथक से खातेदारी में अंकन किया जावे तथा उन्हें अपने हिस्से में प्राप्त भूमि पर काबिज किया जावे तथा लगान पृथक से कायम किया जावे ।

4. प्रतिवादीगण ने जवाबदावा पेश कर वादी के वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक के 29.01.2019 द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर पक्षकारान के मध्य विभाजन की प्राथमिक डिक्री पारित करने का आदेश पारित किया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.2019 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रतिवादीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है । श्री मांगीलाल जी की पहली पत्नी घीसी बाई का लगभग 65 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका था एवं मांगीलाल का देहान्त सन् 1997 में हुआ था इस कारण घींसी बाई का उक्त भूमि में कोई हक नहीं था । मांगीलाल के उत्तराधिकारी कस्तूरचन्द, कस्तूरी बाई, कान्ही बाई, सत्यनारायण, जवाहरी लाल, हेमराज, धनपाल, सुगना व मंजू बराबर के उत्तराधिकारी बनते हैं क्योंकि रामचन्द्र का देहान्त कुवांरा ही हो गया था । इस प्रकार उक्त भूमि में प्रत्येक का 1/9 हिस्सा था एवं बंटवारे में प्रत्येक 1/9 हिस्से की भूमि प्राप्त करने के अधिकारी थे । घींसी बाई का हिस्सा कस्तूरचन्द व कस्तूरी बाई के हक में राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया जो कानून विरूद्ध था । अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण ने जवाबदावा प्रस्तुत किया था जिसमें स्पष्ट रूप से कथन किया गया था उक्त भूमि में कस्तूर चन्द व कस्तूरी बाई का 1/9 – 1/9 हिस्सा बनता है ।

अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट धनराज, रेखराज व किशन गोपाल को विभाजन में हिस्सा दिया है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय में उनको पक्षकार नहीं बनाया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 29.01.2019 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट जवाहरी लाल ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट क्रम 7, 8 व 9 क्रमशः धनराज, रेखराज एवं किशन गोपाल को अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं बनाया था किन्तु अपीलाधीन निर्णय में विभाजन में उनको भूमि प्रदान की गई है जो कि उनके हिस्से में आने वाली भूमि से कम भूमि दी गई है । इस कारण अपीलान्ट संख्या 7, 8 च 9 के हकों पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से विपरीत प्रभाव पडा है । अपीलान्ट क्रम 7, 8 व 9 हितबद्ध पक्षकार हैं । अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट क्रम 7, 8 व 9 को न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

8. हमने अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्टगण क्रम 7 से 9 को विभाजन में भूमि दी है उन्होंने प्रार्थना पत्र में अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित होना कथन किया है तथा प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार होने का कथन किया है । अतः न्यायहित में अपीलान्टगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट क्रम 7 से 09 को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की अपीलान्टगण को कोई जानकारी नहीं थी । अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपनी ओर से पैरवी करने हेतु अपने वकील साहब को नियुक्त किया था और उन्होंने अपीलान्ट को कहा था कि जरूरत होगी तो मैं सूचना कर दूंगा किन्तु इनके द्वारा अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गई । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 18.06.2019 को हुई जब पटवारी हल्का ने बताया कि भूमि के विभाजन का दावा डिक्री हो गया है जिस पर नकल का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया और दिनरांक 25.06.2019 को अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

10. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

11. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने तनकीवार निर्णय पारित नहीं किया है जो कि आवश्यक है । अपीलान्ट को साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । मांगीलाल जी की पहली पत्नी घींसी बाई का लगभग 65 वर्ष पूर्व देहान्त हो चुका था एवं मांगीलाल जी का देहान्त 1997 में हुआ था इस कारण घींसी बाई का उक्त भूमि में कोई हक

नहीं था । मांगीलाल के उत्तराधिकारी, कस्तूरचन्द, कस्तूरीबाई, कान्हीं बाई, सत्यनारायण, जवाहरी लाल, हेमराज, धनपाल, सुगना एवं मंजू बराबर के उत्तराधिकारी बनते हैं । रामचन्द्र पुत्र मांगीलाल का भी कुंवारा ही देहान्त हो गया था । इस प्रकार उक्त भूमि में प्रत्येक का 1/9 हिस्सा था एवं बंटवारे में प्रत्येक 1/9 हिस्से की भूमि प्राप्त करने के अधिकारी थे फिर भी त्रुटिपूर्ण रूप से घींसी बाई का हिस्सा कस्तूर चन्द एवं कस्तूरी बाई के हक में राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कर दिया । जवाबदावे में प्रतिवादी ने इसका उल्लेख किया था इसके बावजूद राजस्व रिकॉर्ड में गलत अंकन के आधार पर बंटवारा किया है । अपीलान्ट की सहमति के बिना कोई सहमति यदि उनके अभिभाषक ने दी है तो वह अपीलान्ट के विरूद्ध प्रभावशून्य है । मृत व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित किया है । धनराज, रेखराज एवं किशन गोपाल को बंटवारे में हिस्सा अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में दिया है किन्तु उनको पक्षकार बनाकर सुनवाई का अवसर नहीं दिया है । सीपीसी के आदेश 20 नियम 05 की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.01.2019 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2016 (1) पेज 20, आरआरडी 1998 पेज 319, डीएनजे 2014 (एससी) पेज 228, आरआरडी 1998 पेज 188, आरआरडी 1994 पेज 51 उद्धरत की

12. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में दावा सन् 2000 से लम्बित था । अपीलान्टगण ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाबदावा पेश किया है । राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार विभाजन किया गया है जो विधि सम्मत है । अपीलान्ट अकारण प्रकरण को लम्बा करना चाहते हैं । प्रतिवादी कम 1, 6 एवं 7 ने अपने जवाबदावे में यह कथन किया है कि जमाबन्दी राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार हिस्सा स्वीकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रकिया अपनाते हुए दावा स्वीकार किया है । अपील सारहीन होने से खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29. 01.2019 बहाल रखा जावे ।

13. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने न्यायालय हाजा में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी का प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का रिकॉर्ड पर लिये जाने का कथन किया ।

14. हमने अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात में नकल नामान्तरकरण संख्या 172 एवं 183 की प्रमाणित प्रतियॉ है । उक्त दस्तावेज राजकीय दस्तावेज हैं और प्रकरण से सम्बन्धित हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात को रिकॉर्ड पर लिये जाने का आदेश पारित किया जाता है ।

15. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

16. अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट सत्यनारायण, धनपाल एवं मंजू कुमारी की तरफ से जो जवाबदावा पेश किया गया है उसमें विशेष अपत्ति में यह कथन किया गया है कि प्रत्येक का 1/9 हिस्सा बनता है । इसके अलावा एक जवाबदावा पत्रावली पर प्रतिवादी संख्या 1, 6 एवं 7 के द्वारा पेश किया गया है जिसमें वादपत्र की चरण संख्या 02 में वर्णित तथ्य राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी के अनुसार स्वीकार किया जाना अंकित किया है ।

17. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में वादी की ओर से दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 प्रदर्श– संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम अल्कोदिया की नया खाता संख्या 66 में कुल 02 किता की 26 बीघा 08 बिस्वा भूमि धनराज, लेखराज, किशनगोपाल पिस0 जवाहर लाल हिस्सा 1/10, कस्तूरचन्द आत्मज मांगीलाल हिस्सा 3/20, सत्यनारायण, जवाहरी लाल, धनपाल पि0 मांगीलाल हिस्सा 3/10, सुगना बाई, मंजूबाई पुत्रियॉ मांगीलाल हिस्सा 3/10, रूपराम गोविन्द पि0 कस्तूरचन्द हिस्सा 3/20 खातेदार दर्ज हैं । नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 प्रदर्श– 2 संलग्न है जिसके अनुसार ग्राम अल्कोदिया की नया खाता संख्या 23 में कुल 02 किता की 44 बीघा 08 बिस्वा भूमि कस्तूरचन्द, सत्यनारायण, जवाहरीलाल, धनपाल पिसरान मांगीलाल हिस्सा 17/40, गोपाली बेवा हेमराज, गिरिजा, भूली, नैना पुत्रियॉ हेमराज नाबालिग संरक्षक माता गोपाली हिस्सा 17/160, सुगना बाई, मंजू बाई दुख्तर मांगीलाल हिस्सा 51/160, रूपराम, गोविन्द पिसरान कस्तूरचन्द हिस्सा 3/20 खाते में दर्ज है ।

18. प्रतिवादी की ओर से दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 प्रदर्श– ए–1 नया खाता संख्या 66, नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 प्रदर्श– ए–2, रिलीज डीड की प्रमाणित प्रति प्रदर्श– ए–3 पेश किये हैं ।

19. अन्य दस्तावेजात में नकल जमाबन्दी संवत् 2055–58 संलग्न है जिसके अनुसार नया खाता संख्या 66 में कुल 04 किता की 70 बीघा 16 बिस्वा भूमि मांगीलाल वल्द देवीराम के खाते में दर्ज है जिसमें नामान्तरकरण संख्या 172 दिनांक 06.04.1999 का नोट अंकित है जिसके अनुसार मृतक मांगीलाल के उत्तराधिकारी कस्तूरचन्द, सत्यनारायण, जवाहरीलाल, हेमराज, धनपाल पिसरान मांगीलाल, कस्तूरी बाई, सुगना बाई, मंजू बाई दुख्तर मांगीलाल व मु0 खानी बाई बेवा मांगीलाल एवं मृतक घींसी बाई बेवा का हिस्सा उसके पुत्र कस्तूरचन्द एवं पुत्री कस्तूरी बाई के हि0 में दर्ज करने एवं रामचन्द्र के कुंवारा फौत होने से हि0ब0 दर्ज करने का आदेश हुआ । नामान्तरकरण संख्या 183 दिनांक 22.08.2000 का नोट भी अंकित है।

20. अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सीपीसी के साथ संलग्न दस्तावेजात में नामान्तरकरण संख्या 172 में नोट अंकित है जिसके अनुसार मांगीलाल की पहली पत्नी घींसी बाई 20 वर्ष पूर्व फोत हो चुकी है और इसमें पटवारी की रिपोर्ट एवं जॉच आईएलआर के अनुसार घींसी बाई का हिस्सा उनके पुत्र एवं पुत्री के हिस्सा बराबर–बराबर दर्ज करने का नोट अंकित किया गया है ।

21. पत्रावली में बयान वादी की ओर से कस्तूरचन्द पीडब्ल्यू– 1 कराये गये हैं ।

22. प्रतिवादी की ओर से बयान मंजू बाई डीडब्ल्यू– 1 कराये गये हैं ।

23. अपीलान्ट के द्वारा मुख्य रूप से यह आपत्ति की गई है कि घींसी बाई जो कि मांगीलाल की पहली पत्नी थी उनकी मृत्यु मांगीलाल की मृत्यु से पूर्व ही हो चुकी थी और इस तथ्य की ताईद नामान्तरकरण संख्या 172 में अंकित नोट से भी होती है । यदि मांगीलाल की पहली पत्नी घींसी बाई की मृत्यु मांगीलाल की मृत्यु से पूर्व हो चुकी थी और मांगीलाल की मृत्यु के समय उनके उत्तराधिकारी कस्तूरचन्द, सत्यनारायण, जवाहरीलाल, हेमराज, धनपाल, कस्तूरीबाई, सुगना बाई और मंजू बाई एवं खानी बाई मौजूद थी तो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार प्रत्येक का 1/9 – 1/9 हिस्सा बनता है । त्रुटिपूर्ण रूप से इस नामान्तरकरण के आधार पर कस्तूरचन्द एवं कस्तूरी बाई का हिस्सा 3/20–3/20 दर्ज किया गया है और शेष वारिसान का हिस्सा 1/10–1/10 दर्ज किया गया है जबकि प्रत्येक का 1/9–1/9 हिस्सा दर्ज किया जाना चाहिए । नामान्तरकरण एक फिसकल प्रकिया होती है जिससे पक्षकारों के हित एवं स्वत्व प्रभावित नहीं होते हैं ।

24. यहॉ यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 02.06.2009 के अनुसार तनकीयात कायम की गई हैं परन्तु निर्णय तनकीवार पारित नहीं किया गया है जबकि सत्यनारायण, धनपाल एवं मंजू बाई के द्वारा जो जवाबदावा पेश किया गया है उसमें विशेष आपत्ति दर्ज करवायी गई है । सीपीसी के आदेश 20 नियम 05 के अनुसार तनकीयात कायम हो जाने के उपरान्त तनकीवार निर्णय पारित किया जाना अनिवार्य होता है । इस दृष्टि से भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है । साथ ही धनपाल, रेखराज एवं किशन गोपाल जो कि राजस्व रिकॉर्ड में सह खातेदार दर्ज हैं उनको भी पक्षकार नहीं बनाया गया है जबकि सहखातेदार दर्ज होने के नाते वो इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार हैं । इन समस्त तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से खारिज होने योग्य है ।

25. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.01.2019 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलान्ट धनराज, रेखराज एवं किशन गोपाल को बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया जाकर उनको जवाबदेही का अवसर प्रदान करते हुए दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम तनकीयात का स्पष्ट विवेचन करते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम को ध्यान में रखते हुए नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पत्रावली प्राप्ति के 06 माह के भीतर पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 28.01.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

26. निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

11/12/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा